# अध्याय– IV

## वाहनों पर कर

# कार्यपालक सारांश

| | |
|---|---|
| **इस अध्याय के हमारे मुख्याकर्षण** | इस अध्याय में हमने जिला परिवहन कार्यालयों में वर्ष 2011–12 के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाए गए आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली आदि से संबंधित अवलोकनों से चयनित ₹ 155.58 करोड़ से सन्निहित दृष्टांतस्वरूप कुछ मामलों को रखा है, जहाँ हमने पाया कि अधिनियमों/नियमावली/सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।<br>यह चिन्ता का विषय है कि पूर्व में भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निरंतर हम इन चूकों को इंगित करते रहे हैं परन्तु हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने तक विभाग ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।<br>हमारा ध्यान इस पर भी है कि यद्यपि हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से इस तरह के चूक स्पष्ट दृष्टिगोचर थे, जिला परिवहन पदाधिकारी इन गलतियों को पता लगाने में असमर्थ थे। |
| **बजट आकलन की तुलना में कर संग्रहण में वृद्धि** | वर्ष 2011–12 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर करों के संग्रहण में यद्यपि 5.98 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर कर से प्राप्ति की प्रतिशतता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई। |
| **विभाग द्वारा हमलोगों के पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए अवलोकनों से संबंधित काफी कम वसूली** | वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमलोगों ने वाहनों पर करों से संबंधित 1,100 मामलों में ₹ 612.03 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, राजस्व की हानि इत्यादि इंगित किए। इनमें से विभाग/सरकार ने ₹ 488.13 करोड़ से सन्निहित 900 मामलों में लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 1.35 करोड़ की वसूली की गई। स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 488.13 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ की नगण्य वसूली (0.28 प्रतिशत), सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की तत्परता में अभाव को संसूचित करता है। |
| **वर्ष 2011–12 के लिए ईकाइयों में किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम** | वर्ष 2011–12 के लिए वाहनों पर करों से संबंधित 34 ईकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमलोगों ने ₹ 170.37 करोड़ से सन्निहित 220 मामलों में कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य त्रुटियाँ पाया।<br>विभाग ने 58 मामलों में सन्निहित ₹ 28.61 करोड़ के राजस्व का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिसमें ₹ 1.53 करोड़ से सन्निहित नौ मामले वर्ष 2011–12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। |
| **हमारा निष्कर्ष** | विभाग को आंतरिक नियंत्रण तंत्र को उन्नत करने की आवश्यकता है, ताकि तंत्र की कमजोरियों का पता लगे तथा हमारे द्वारा पाए गए चूकों को भविष्य में टाला जाए।<br>कम–से–कम स्वीकृत मामलों में सन्निहित राशि की वसूली हेतु उचित कदम उठाए जाने की भी आवश्यकता है। |

# अध्याय–IV : वाहनों पर कर

## 4.1.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 तथा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ[1] क्षेत्रों एवं 38 जिलों में बाँटा गया है जिन पर क्रमशः क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों का नियंत्रण रहता है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहण हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है।

## 4.1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट आकलन तथा वाहनों पर कर से प्राप्त वास्तविक प्राप्तियों के साथ–साथ उसी अवधि के दौरान कुल कर प्राप्तियों के बीच भिन्नता नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बजट आकलन | वास्तविक प्राप्तियाँ | भिन्नता वृद्धि (+)/ह्रास(–) | भिन्नता की प्रतिशतता | राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ | कुल कर प्राप्तियों (स्तंभ–6) की तुलना में वास्तविक कर प्राप्तियों (स्तंभ–3) की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2007–08 | 375.00 | 273.21 | (–) 101.79 | (–) 27.14 | 5,085.53 | 5.37 |
| 2008–09 | 256.60 | 297.74 | (+) 41.14 | (+) 16.03 | 6,172.74 | 4.82 |
| 2009–10 | 355.00 | 345.13 | (–) 9.87 | (–) 2.78 | 8,089.67 | 4.27 |
| 2010–11 | 550.00 | 455.43 | (–) 94.57 | (–) 17.19 | 9,869.85 | 4.61 |
| 2011–12 | 537.00 | 569.13 | (+) 32.13 | (+) 5.98 | 12,612.10 | 4.51 |

*(श्रोतः राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ (विस्तृत); वित्त लेखे, बिहार सरकार)*

उपरोक्त सारणी दर्शाता है कि वर्ष 2011–12 में बजट आकलन की तुलना में वाहनों पर कर के संग्रहण में यद्यपि 5.98 प्रतिशत की वृद्धि आई, परन्तु राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों से प्राप्ति की प्रतिशतता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

वाहनों पर कर की आकलित प्राप्तियाँ तथा कुल कर प्राप्तियों के साथ–साथ वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति निम्न बार डायग्राम में दिया गया है:

[1] भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

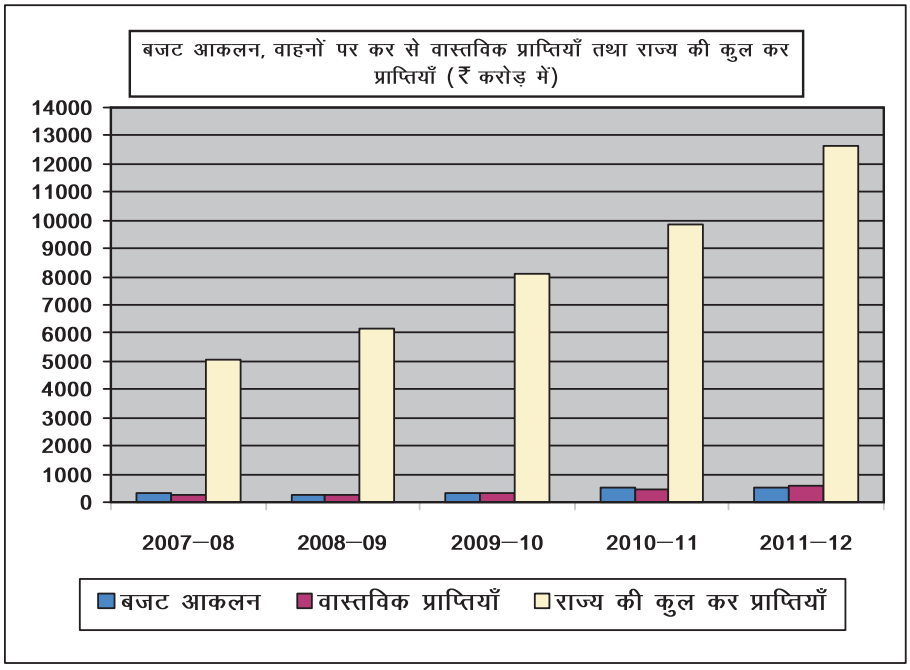


वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य की कुल कर प्राप्तियों (₹ 12,612.10 करोड़) में वाहनों पर कर का योगदान निम्न चार्ट दर्शाता है:

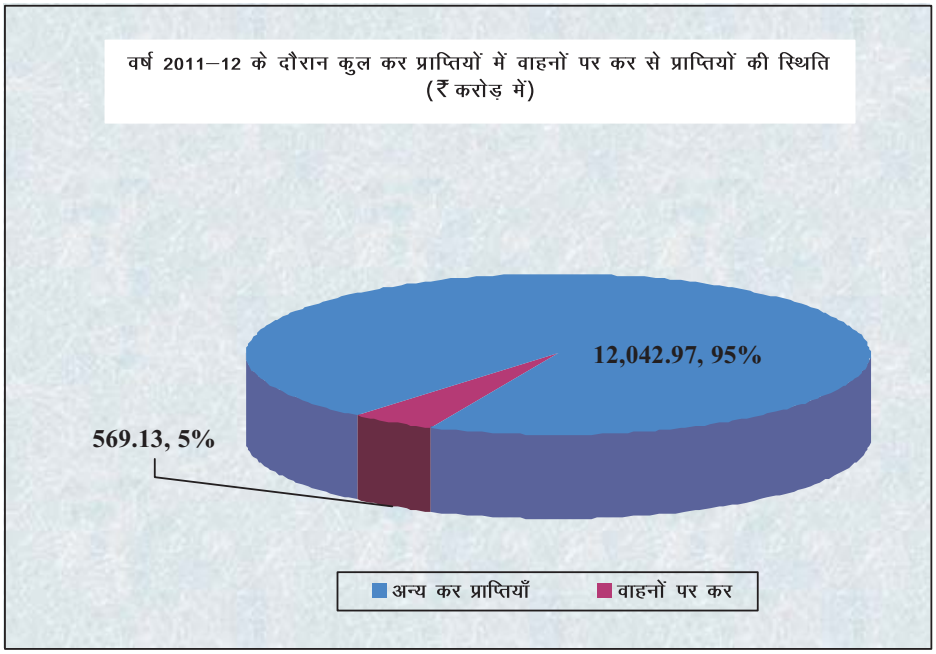


### 4.1.3 संग्रहण की लागत

वाहनों पर कर प्राप्तियों का सकल संग्रहण, उस संग्रहण पर किया गया व्यय तथा वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता के साथ–साथ संबंधित विगत वर्षों के लिए सकल संग्रहण पर व्यय से संबंधित अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | सकल संग्रहण | संग्रहण पर व्यय | सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता | विगत वर्ष के लिए अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | 273.21 | 5.96 | 2.18 | 2.47 |
| 2008–09 | 297.74 | 6.95 | 2.33 | 2.58 |
| 2009–10 | 345.13 | 10.41 | 3.02 | 2.93 |
| 2010–11 | 455.43 | 16.92 | 3.72 | 3.07 |
| 2011–12 | 569.13 | 22.31 | 3.92 | 3.71 |

उपर्युक्त तालिका दर्शाता है कि वर्ष 2009–12 के दौरान, संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता पूर्ववर्ती वर्षों के अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से अधिक था।

**सरकार को आवश्यकता है कि आने वाले वर्षों में संग्रहण की लागत की प्रतिशतता को अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से नीचे रखने हेतु उचित कदम उठाए।**

### 4.1.4 लेखापरीक्षा का प्रभाव

#### राजस्व प्रभाव

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपनी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, हानि इत्यादि के 1,100 मामले, जिसमें ₹ 612.03 करोड़ के राजस्व शामिल थे, इंगित किए। इसमें से विभाग/सरकार ने ₹ 488.13 करोड़ से सन्निहित 900 मामलों के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ₹ 1.35 करोड़ की वसूली की। विस्तृत विवरणी निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | लेखापरीक्षित ईकाइयों की संख्या | आपत्ति किए गए | | स्वीकार किए गए | | वसूल किए गए | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि | मामलों की संख्या | राशि |
| 2006–07 | 47 | 172 | 41.63 | 116 | 28.49 | शून्य | शून्य |
| 2007–08 | 47 | 201 | 141.29 | 215 | 142.94 | 5 | 0.37 |
| 2008–09 | 46 | 218 | 155.98 | 210 | 96.04 | 4 | 0.98 |
| 2009–10 | 38 | 310 | 253.13 | 295 | 201.23 | शून्य | शून्य |
| 2010–11 | 48 | 199 | 20.00 | 64 | 19.43 | शून्य | शून्य |
| **कुल** | **226** | **1,100** | **612.03** | **900** | **488.13** | **9** | **1.35** |

स्वीकृत मामलों में सन्निहित ₹ 488.13 करोड़ के विरूद्ध ₹ 1.35 करोड़ (0.28 प्रतिशत) की अल्प वसूली सरकारी बकायों की वसूली में सरकार/विभाग की ओर से तत्परता का अभाव संसूचित करता है।

**हम अनुशंसा करते हैं कि कम से कम स्वीकृत मामलों में, सन्निहित राशि की वसूली हेतु सरकार उपयुक्त कदम उठाये।**

### 4.1.5 आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखापरीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा सरकार के विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। विभाग ने लेखापरीक्षा की जानेवाली कार्यालयों की संख्या, किये गये लेखापरीक्षा की संख्या, निर्गत अवलोकनों की संख्या तथा सन्निहित राशि से संबंधित सूचनाएँ हमें उपलब्ध नहीं कराया।

### 4.1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 की अवधि के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 34 ईकाइयों के अभिलेखों की हमारी नमूना जाँच से ₹ 170.37 करोड़ से सन्निहित 220 मामलों में कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, राजस्व की हानि एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | श्रेणियाँ | मामलों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | करों का आरोपण नहीं/कम किया जाना | 46 | 13.02 |
| 2 | मूलधन एवं ब्याज की वसूली नहीं किया जाना | 1 | 149.51 |
| 3 | व्यापार कर की वसूली नहीं/कम किया जाना | 23 | 1.59 |
| 4 | प्रपत्र– 7 में ड्राइभिंग लाइसेंस का नवीकरण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि | 11 | 1.83 |
| 5 | ट्रैक्टर/ट्रेलर से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि | 20 | 1.29 |
| 6 | तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि | 21 | 1.07 |
| 7 | व्यक्तिगत वाहनों के निबंधन का नवीकरण नहीं किए जाने के कारण राजस्व की हानि | 15 | 0.28 |
| 8 | टैक्स टोकन के अनियमित निर्गमन के कारण राजस्व की हानि | 2 | 0.23 |
| 9 | परिवहन वाहनों को चलाने हेतु ड्राइभिंग लाइसेंस के अनियमित निर्गमन के कारण राजस्व की हानि | 8 | 0.08 |
| 10 | अभ्यर्पण से संलग्न वाहनों से कर की वसूली नहीं किया जाना | 4 | 0.08 |
| 11 | अन्य मामले | 69 | 1.39 |
| **कुल** | | **220** | **170.37** |

वर्ष 2011–12 के दौरान, विभाग ने 58 मामलों में अंतर्निहित ₹ 28.61 करोड़ के आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए जाने/कम वसूली, राजस्व की हानि तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 1.53 करोड़ से सन्निहित नौ मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2010–11 के दौरान एक मामले में ₹ 11,000 की वसूली की है।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 155.58 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं:

## 4.2 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

*बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:*

- *वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;*
- *निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा*
- *यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगना तक अर्थदण्ड।*

*कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 4.3 से 4.11 में वर्णित है, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 155.58 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई।*

## 4.3 वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के अंतर्गत वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित हुआ है। आवास/व्यवसाय में परिवर्तन होने के मामले में वाहन मालिक पूर्व के करारोपण पदाधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर नये करारोपण पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है। पुनः, करारोपण पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वाहन मालिक द्वारा विहित शर्तो को पूरा कर लिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारियों को समय पर करों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु माँग पत्र निर्गत करना आवश्यक है।

कर का भुगतान 90 दिनों से भी अधिक समय तक नहीं किये जाने पर बकाया कर के 200 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड लगाया जाना है। बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत, यदि कर या अर्थदण्ड या दोनों का भुगतान इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है, तब पदाधिकारी, जो मोटर वाहन निरीक्षक स्तर के नीचे का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विशेष रुप से अधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी मोटर वाहन को जब्त कर सकता है तथा करों के भुगतान होने तक इसे रोक कर रख सकता है।

हमने पाया कि सरकार/विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया था तथा चूककर्त्ता वाहन मालिकों को निर्गत की जाने वाली माँग पत्र हेतु समय सीमा भी विहित नहीं किया था।

दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के बीच नौ[2] जिला परिवहन कार्यालयों में कराधान पंजियों एवं वाहन[3] डाटाबेस की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि यद्यपि 517 परिवहन वाहन मालिकों ने सितम्बर 2005 एवं दिसम्बर 2011 के बीच की अवधि से संबंधित ₹ 1.89 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि

[2] औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और रोहतास।

[3] वाहनों के निबंधन तथा पथ कर समाधान हेतु विकसित एक एप्लिकेशन।

के अन्दर नहीं किया, फिर भी, जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्त्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्त्ता वाहन मालिकों से बकाये की वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की। कर के भुगतान से छुट पाने के लिए दस्तावेजों के अभ्यर्पण या मालिकों के पता में परिवर्तन का कोई भी मामला अभिलेख में नहीं पाया गया। जिसके परिणामस्वरुप अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 3.78 करोड़ सहित ₹ 5.67 करोड़ के कर की वसूली नहीं की गई **(परिशिष्ट– XII)**।

लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के बीच इंगित किए जाने के बाद, सरकार/विभाग ने अक्टूबर 2012 में कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर ने सभी मामलों में माँगपत्र निर्गत (अप्रैल 2012) कर दिया है। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों से संबंधित मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

## 4.4 ट्रेलर से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत् कृषि संबंधी कार्य के अलावे उपयोग में लाये गये अथवा उपयोग में लाने हेतु रखे गए 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार तक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 4,000 तथा 3,000 किलोग्राम के निबंधित लदान भार से अधिक के सभी ट्रेलरों द्वारा ₹ 6,000 का एकमुश्त कर का भुगतान किया जाना है। निबंधित ट्रेलरों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की राशि की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटाने के बाद करनी है। इससे पहले 8 अप्रैल 2010 तक 5,000 किलोग्राम के लदान भार वाले ट्रेलरों पर कर का दर प्रति तिमाही ₹ 600 (पथ कर : ₹ 240 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 360) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत्, नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है।

दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के बीच सात[4] जिला परिवहन कार्यालयों में कराधान पंजियों एवं वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँचित 1,449 ट्रेलरों में से 405 ट्रेलरों, जिनका निबंधन अप्रैल 2008 एवं दिसम्बर 2010 के बीच हुई थी, के मालिकों ने विहित दर पर एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों, 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार वाहन डाटाबेस में दर को अद्यतन करने में विफल रहे तथा चूककर्त्ताओं के विरूद्ध बकाये करों हेतु माँग का सृजन भी नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप आरोप्य अर्थदण्ड ₹ 24.77 लाख सहित ₹ 38.72 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2011 एवं जून 2012 के बीच इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने अक्टूबर 2012 में कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने सभी मामलों में माँगपत्र निर्गत कर दिया है। शेष छः जिला परिवहन कार्यालयों से संबंधित मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

[4] बेगुसराय, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास और सारण।

## 4.5 तीन पहिया वाहनों से एकमुश्त कर/अर्थदण्ड की वसूली नहीं/कम किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 7, जैसाकि वर्ष 2010 के बिहार वित्त अधिनियम 8 (9 अप्रैल 2010 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों की अवधि के लिए निबंधन के समय एक वर्ष की आयु वाले सभी तीन पहिया वाहनों पर सात एवं चार सीटों वाली तीन पहिया वाहनों (चालक को छोड़कर) के लिए एकमुश्त कर क्रमशः ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000 आरोपित किया जाएगा। पूर्व में निबंधित तीन पहिया वाहनों द्वारा भुगतेय एकमुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान किए गए कर की राशि को घटा कर की जाएगी तथा यदि कर का भुगतान ₹ 7,500 एवं ₹ 5,000, जैसा भी मामला हो, का भुगतान पूर्व में कर दिया गया है तब एकमुश्त कर भुगतेय नहीं होगा। इससे पूर्व 8 अप्रैल 2010 तक तीन पहिया वाहनों पर कर ₹ 248 प्रति तिमाही (पथ कर : ₹ 88 तथा अतिरिक्त कर : ₹ 160) था।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4 (2) के तहत 90 दिनों से अधिक तक कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड भी लगाया जाना है।

**4.5.1** दिसम्बर 2011 एवं जून 2012 के बीच नौ[5] जिला परिवहन कार्यालयों में कर विवरणी तथा वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँचित 2,594 तीन पहिया वाहनों में से 465 वाहनों जिनका निबंधन अक्टूबर 2009 एवं फरवरी 2011 के बीच हुई थी, के मालिकों ने विहित दर पर एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया था। जिला परिवहन पदाधिकारी न केवल उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहे बल्कि ₹ 47.06 लाख के आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 70.59 लाख के एकमुश्त कर की वसूली भी नहीं की।

लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के बीच इसे इंगित किए जाने के बाद विभाग ने कहा (अक्टूबर 2012) कि जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार ने सभी मामलों में माँग पत्र निर्गत (अक्टूबर 2012) कर दिया था। शेष आठ जिला परिवहन कार्यालयों से संबंधित मामले में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

**4.5.2** जिला परिवहन कार्यालय औरंगाबाद में कराधान पंजी तथा निबंधन पंजी (वाहन सॉफ्टवेयर अक्टूबर 2011 में प्रतिष्ठापित हो चुका था लेकिन अद्यतन नहीं था) की संवीक्षा के दौरान मई 2012 में हमने पाया कि नमूना जाँचित 128 तीन पहिया वाहनों में से 55 वाहनों, जिनका निबंधन मई एवं नवम्बर 2010 के बीच हुआ था, के मालिकों ने एकमुश्त कर के बजाए तिमाही आधार पर कर का भुगतान किया था। हाँलाकि, वाहन मालिकों ने शेष एकमुश्त कर का भुगतान जनवरी 2011 एवं फरवरी 2012 के बीच कर दिया था परन्तु जिला परिवहन पदाधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त कर का भुगतान विलम्ब से किए जाने हेतु अर्थदण्ड की वसूली नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 5.06 लाख[6] का अधिकतम अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

---

5 औरंगाबाद, दरभंगा, गया, कटिहार, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास एवं सारण।

6 आरोप्य एकमुश्त कर– ₹ 2,61,648; भुगतान किया गया एकमुश्त कर– ₹ 2,65,343, किया गया अधिक भुगतान– ₹ 3,695; आरोप्य अर्थदण्ड– ₹ 5,09,536– ₹ 3,695 (अधिक एकमुश्त कर का भुगतान) = ₹ 5,05,841

मामला सरकार/विभाग को अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

## 4.6 व्यक्तिगत वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 7, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 2011 (1 अप्रैल 2011 से प्रभावी) द्वारा संशोधित है, के तहत व्यक्तिगत वाहनों पर उसके पूर्ण जीवन काल के लिए निबंधन के समय एकमुश्त कर वाहन के मूल्य (बिक्री कर छोड़कर) का पाँच प्रतिशत के दर पर आरोपित किया जाएगा।

फरवरी एवं जून 2012 के बीच छः[7] जिला परिवहन कार्यालयों में कराधान पंजी एवं कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि नमूना जाँचित 14,448 व्यक्तिगत वाहनों में से 5,018 वाहनों, जिनका निबंधन 2 अप्रैल 2011 एवं 17 जनवरी 2012 के बीच हुआ था, के मालिकों ने विहित दर से अपने एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप ₹ 26.84 लाख के एकमुश्त कर की वसूली कम हुई।

मामला सरकार/विभाग को जून एवं जुलाई 2012 के बीच प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

## 4.7 ड्राइभिंग लाइसेंस को प्रपत्र–7 में नवीकरण नहीं किया जाना

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, के नियम 16 के अनुसार, जहाँ लाइसेसिंग प्राधिकारी के पास लैमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइभिंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध है तब इसे प्रपत्र–7 में निर्गत किया जायेगा। पुनः उपरोक्त नियमावली के नियम 16(3) के अनुसार इस उपनियम के लागू होने की तिथि (31 मई 2002) या उसके बाद लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा सभी ड्राइभिंग लाइसेंस प्रपत्र–7 में निर्गत अथवा नवीकरण किया जाएगा। राज्य परिवहन आयुक्त ने भी स्मार्ट कार्ड में ड्राइभिंग लाइसेंस निर्गत करने हेतु अनुदेशित (फरवरी 2009) किया था।

फरवरी एवं अप्रैल 2012 के बीच चार[8] जिला परिवहन कार्यालयों में गैर व्यवसायिक ड्राइभिंग लाइसेंस के नवीकरण से संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए रिटर्न तथा सारथी[9] सॉफ्टवेयर के आँकड़ों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि अप्रैल 2010 एवं मार्च 2012 के बीच नवीकृत किए गए 49,701 गैर व्यवसायिक ड्राइभिंग लाइसेंस में से 48,533 ड्राइभिंग लाइसेंस प्रपत्र–6[10] में मैन्युअली निर्गत किए गए थे जबकि सभी जिला परिवहन कार्यालयों में आवश्यक उपकरण उपलब्ध थे। इस प्रकार, उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण ड्राइभिंग लाइसेंस का एक राष्ट्रीय पंजी बनाने का उद्देश्य तथा केन्द्रीय एवं राज्य सुरक्षा एजेंसियों हेतु बहुमूल्य आँकड़े मुहैया कराने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

---

7 बेगुसराय, भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रोहतास एवं सारण।

8 बेगुसराय, गया, मुजफ्फरपुर एवं पटना।

9 विभिन्न लाइसेंस निर्गत किए जाने हेतु विकसित एक एप्लीकेशन।

10 फार्म– 6 मोटर वाहन चलाने हेतु पुस्तिका (8X6 से0मी0) के रूप में मुद्रित ड्राइभिंग लाइसेंस।

लेखापरीक्षा द्वारा फरवरी एवं अप्रैल 2012 के बीच इसे इंगित किए जाने के बाद सरकार/विभाग ने अक्टूबर 2012 में कहा कि जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा ड्राइभिंग लाइसेंस प्रपत्र–7[11] में निर्गत किया जा रहा है। शेष तीन जिला परिवहन कार्यालयों से संबंधित मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

## 4.8 टैक्स टोकन का अनियमित निर्गमन

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 11 एवं 12 तथा उसके तहत् बने नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत करारोपण पदाधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को जो वाहनों के लिए निर्धारित कर का भुगतान करता है, को एक पावती तथा विहित प्रपत्र में टैक्स टोकन निर्गत करेगा। पुनः, करारोपण पदाधिकारी चालू अवधि के लिए मोटर वाहनों के संबंध में कर अथवा अर्थदण्ड, अगर कोई हो, को स्वीकार्य नहीं करेगा जबतक कि देय कर एवं अर्थदंड के बकाये का भुगतान पूरी तरह नहीं कर दिया गया हो। कर की पावती तथा टैक्स टोकन निर्गत किए जाने से पहले करारोपण पदाधिकारी स्वंय को संतुष्ट कर लेगा कि कर के भुगतान के रूप में जमा किया गया राशि विनिर्दिष्ट दर पर भुगतेय कर के बराबर है।

पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के तहत, 90 दिनों के बाद भी कर का भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर के 200 प्रतिशत की दर पर अर्थदण्ड लगाया जाना है।

जून 2012 में जिला परिवहन कार्यालय, सारण के कराधान पंजी तथा कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि करारोपण पदाधिकारी ने चार परिवहन वाहनों के वाहन मालिकों को अप्रैल 2003 एवं सितम्बर 2009 के बीच की अवधि के लिए बकाए कर एवं अर्थदण्ड की वसूली किए बगैर अक्टूबर 2009 से दिसंबर 2009 तक की अवधि का कर स्वीकृत कर टैक्स टोकन निर्गत कर दिया था। बकाए कर एवं अर्थदण्ड की वसूली किए बिना टैक्स टोकन निर्गत किया जाना अधिनियम के प्रावधान के विरूद्ध था तथा साथ ही इसके फलस्वरूप कर के भुगतान नहीं किए जाने हेतु ₹ 14.63 लाख के अर्थदण्ड सहित ₹ 21.94 लाख की कम वसूली हुई।

मामला सरकार/विभाग को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

[11] फार्म– 7: मोटर वाहन चलाने हेतु लैमिनेटेड/स्मार्ट कार्ड के रूप में ड्राइभिंग लाइसेंस।

## 4.9 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से व्यापार कर की नहीं/कम वसूली

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 6 तथा उसके तहत् बने नियमों के अंतर्गत मोटर वाहन के निर्माता या व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिए एक निर्माता/व्यवसायी के रुप में, करों का निर्धारित वार्षिक दर पर भुगतान करना होगा। नियत तिथि के भीतर करों का भुगतान नहीं करने पर बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली के नियम 4(2) के साथ पठित धारा 23, जैसाकि विहित है, के तहत् वर्णित प्रावधान के अनुसार बकाये करों के 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड का विधान है। पुनः, राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को करों की वसूली और व्यापार प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया।

फरवरी और मई 2012 के बीच सात[12] जिला परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहन के निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा दाखिल रिटर्न और निबंधन पंजियों के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि 128 मोटर वाहनों के व्यवसायियों में से 23 व्यवसायियों ने अप्रैल 2008 से फरवरी 2012 की अवधि के बीच अपने अधिकार में रखे गये 33,302 वाहनों (29,045 दो पहियों और 4,257 तीन/चार पहियों वाली) से संबंधित व्यापार कर या तो विहित दर पर जमा नहीं किया अथवा कम जमा किया। इसके फलस्वरुप आरोप्य अधिकतम अर्थदण्ड सहित ₹ 17.43 लाख के व्यापार कर की वसूली नहीं/कम हुई। यद्यपि जिला परिवहन पदाधिकारियों को व्यापार कर की वसूली के लिए मोटर वाहन के निर्माताओं/व्यवसायियों के भंडार पँजियों की जाँच करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा कुछ अभिलेख पर नहीं था जिससे यह पता लगे कि उनके द्वारा उन अभिलेखों की जाँच की गयी थी।

मामला सरकार/विभाग को मई और जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

[12] बेगुसराय, दरभंगा, गया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना और सारण।

## 4.10 अभ्यर्पण में सन्निहित वाहनों से करों की वसूली नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 17(1) एवं 19 तथा इसके अधीन बने नियमों के तहत् जब कोई मोटर वाहन मालिक, एक माह से अधिक लेकिन एक बार में अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अपने वाहन का उपयोग नहीं करने का इरादा रखता हो, तब उसे वाहन का उपयोग नहीं किए जाने वाली अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कर के भुगतान करने से छूट दी जा सकती है, बशर्ते की छूट का दावा प्रलेखों को अभ्यर्पण कर दिये जाने के साक्ष्यों से समर्थित हो। उपरोक्त अवधि के विस्तार, यदि कोई हो, के लिए वाहन मालिक को समय–समय पर संबंधित करारोपण पदाधिकारी के समक्ष वचन–पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की पुनः अवधि विस्तार के अभाव में, इस अधिनियम के उद्देश्य से वाहन बगैर कर के भुगतान किए पूरी अवधि में उपयोग में लाया जाना समझा जाएगा। तदनुसार 90 दिनों के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने पर देय कर का 200 प्रतिशत के दर पर अर्थदण्ड सहित कर आरोपित किया जाना है।

फरवरी एवं अप्रैल 2012 के बीच जिला परिवहन कार्यालय मोतिहारी एवं पटना में कराधान पंजियों तथा अभ्यर्पण पंजियों के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि चार वाहनों के अभ्यर्पण की स्वीकृति फरवरी 2008 एवं जुलाई 2009 के बीच दी गई। लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी वाहन मालिकों के आगे की अवधि विस्तार हेतु वाहनों के उक्त अवधि में उपयोग नहीं लाये जाने संबंधी नये वचन–पत्र दिये बिना ही प्रावधान के विपरीत वाहनों को अभ्यर्पण में रखा। अतः, वाहन मालिक मई 2008 से दिसम्बर 2011 के बीच की अवधि हेतु कर एवं अर्थदण्ड के भुगतान हेतु दायी थे। यद्यपि विहित अभ्यर्पण अवधि बीत जाने के बाद भी जिला परिवहन पदाधिकारियों ने संबंधित वाहन मालिकों के विरूद्ध मांगपत्र निर्गत नहीं किया। जिसके परिणामस्वरुप अधिकतम अर्थदण्ड ₹ 3.33 लाख सहित ₹ 5 लाख के कर की वसूली नहीं की गयी।

मामला सरकार/विभाग को जून 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

## 4.11 ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज की वसूली नहीं किया जाना

बिहार कोषागार संहिता, खण्ड–I के नियम 305 के साथ पठित नियम 321 के तहत ऋण एवं अग्रिम का आहरण एवं पुनर्भुगतान ऐसे सामान्य अथवा विशेष आदेश, जैसा कि प्रत्येक मामले में सरकार निर्गत करेगी, के अनुसार किया जाएगा। पुनः, बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड–I के नियम 7 के तहत विभागीय नियंत्रण पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि सरकार के बकाये सही एवं शीघ्रता से निर्धारित, संग्रहित एवं कोषागार में भुगतान किया जाये।

अप्रैल 2012 में राज्य परिवहन आयुक्त, पटना के कार्यालय के अभिलेखों (विपत्र पंजी एवं आकस्मिक पंजी) तथा ऋण संचिकाओं के नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि बिहार राज्य बनाम सुरजदेव सिंह एवं अन्य (1994 का सिविल अपील संख्या–7,290) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों के बकायों के भुगतान हेतु परिवहन विभाग ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 2008–09 एवं 2011–12 के बीच की अवधि के दौरान ₹ 458.77 करोड़ की ऋण की स्वीकृति दी। स्वीकृति आदेश के शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुसार ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तित किया जाना था, और अगर यह एक वर्ष के भीतर परिवर्तित नहीं किया गया तब ऋण 13

प्रतिशत एवं 2.5 प्रतिशत के प्रति वर्ष की दर पर क्रमशः ब्याज एवं दण्ड ब्याज के साथ दस बराबर वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान करना होगा।

हमने पुनः देखा कि न तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तित करने हेतु कोई कार्रवाई की गई थी और न ही लेखापरीक्षा की तिथि (अप्रैल 2012) तक विभाग द्वारा मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु कोई माँग सृजित किया गया था। वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान दिए गए ऋणों पर बकाये मूलधन, ब्याज एवं दण्ड ब्याज 31 मार्च 2012 तक ₹ 148.05 करोड़ था, जैसा की नीचे वर्णित है:

| विपत्र सं0/वर्ष | ऋण की राशि (₹ करोड़ में) | भुगतान की तिथि | किस्त का देय तिथि | देय मूलधन (₹ करोड़ में) | 31.03.2013 तक 13 प्रतिशत के दर से ब्याज (₹ करोड़ में) | 31.03.2012 तक 2.5 प्रतिशत की दर से दण्ड ब्याज (₹ लाख में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/2008–09 | 10.00 | 21.01.2009 | 21.01.2010 | 1.00 | 4.16 | 5.49 |
| | | | 21.01.2011 | 1.00 | | 2.99 |
| | | | 21.01.2012 | 1.00 | | 0.49 |
| 58/2009–10 | 84.75 | 22.06.2009 | 22.06.2010 | 8.475 | 31.21 | 38.83 |
| | | | 22.06.2011 | 8.475 | | 17.65 |
| 344/2009–10 | 121.34 | 19.02.2010 | 19.02.2011 | 12.134 | 31.98 | 31.18 |
| | | | 19.02.2011 | 12.134 | | 0.84 |
| 216/2010–11 | 121.34 | 11.10.2010 | 11.10.2011 | 12.134 | 23.23 | 14.35 |
| 147/2011–12 | 121.34 | 15.07.2011 | 15.07.2012 | – | – | – |
| **कुल** | **458.77** | | | **56.352** | **90.58** | **111.82 (1.12 करोड़)** |

*(श्रोतः राज्य परिवहन आयुक्त का विपत्र पंजी एवं ऋणों की स्वीकृत्यादेष)*

इस प्रकार ऋणों को अंशपूँजी में परिवर्तित किए जाने में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विफलता (जैसा की अगस्त 2012 में सूचित किया गया था) के साथ–साथ वर्ष 2008–09 से 2010–11 के अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज की वसूली हेतु विभाग द्वारा माँग सृजित नहीं किए जाने के फलस्वरूप ₹ 148.05 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद राज्य परिवहन आयुक्त ने मूलधन एवं ब्याज के भुगतान हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से आग्रह (मई 2012) किया। हमलोग सरकारी बकाये की वसूली पर प्रतिवेदन हेतु प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।

मामला सरकार/विभाग जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर हेतु हम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2013)।